कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ
द्वितीय तल, शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ

महत्वपूर्ण / अतिआवश्यक

संख्या– 917 / रा0आ0का0 / 2020–21

प्रेषक,

संजय गोयल,
राहत आयुक्त।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राहत आयुक्त कार्यालय   लखनऊः दिनॉक : 29 मार्च, 2020

विषयः–स्वयंसेवी संस्थानों एवं स्वयंसेवकों की सेवायें राहत कार्यों में प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि Covid-19 के कारण सरकारी सेवाओं एवं अन्य आवश्यक जन सुविधाओं की आपूर्ति समस्त जनमानस तक पहुंचाया जाना अतिआवश्यक है, जिसके लिये जनपदों से स्वयंसेवी संस्थानों एवं स्वयंसेवकों की आवश्यकता बतायी जा रही है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा जनपदवार स्वयंसेवी संस्थानों एवं स्वयंसेवकों की सूची उपलब्ध कराई गई है। यह स्वयंसेवी संस्थान एवं स्वयंसेवक Covid-19 के लिये अपनी सेवायें प्रदान करने के इच्छुक हैं।

उक्त के संदर्भ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण से प्राप्त सूचना को अपने जनपद स्तर पर उपयोग में लाते हुये जनमानस तक सुविधाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त सूचना जिलाधिकारी की ई–मेल पर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा प्राप्त स्वयंसेवी संस्थानों एवं स्वयंसेवकों की एक्सेल सीट।

भवदीय,

Sanjay

(संजय गोयल)
राहत आयुक्त।

प्रतिलिपिः–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sanjay

(संजय गोयल)
राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner